

Bill

by these officers or the representatives who were all elected by the people to run the administration of the country are guided by these officers or they do not know anything.

In view of the background of this article, I would request the hon. Member that he should consider withdrawing this Constitution (Amendment) Bill so that the pledge that has been given could be fulfilled. As a matter of fact, the officers to whom this article applies would all be gone by 1979 and this article will then become redundant. Therefore, to amend the Constitution of India for these 13 remaining years would not be a very desirable thing.

In view of this, Sir, I would request the hon. Member, Shri Vishwanath Pandey, to withdraw his Bill.

**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूँ। हमारे माननीय सदस्यों ने इस पर जो विचार प्रकट किये हैं, उनमें से बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है तथा बाकी लोगों ने इस विधेयक की जो भावना है उसको पसन्द किया है, यहाँ तक कि हमारे मंत्री महोदय ने भी किया है। मेरा यह मतलब नहीं है कि जो पुराने आर्टि० सी० एस० हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले उन में अच्छे नहीं थे, लेकिन जब संविधान ने यह स्वीकार किया है कि समान प्रवस्था में, समान नौकरी में, समान कार्य करने वालों में असमानता नहीं रहेगी डिस्पैरिटी नहीं रहेगी, तो यह जो 314 दफा है, यह खटकने वाली है। समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत जो पहले के आर्टि० सी० एस० हैं, उन्हें एक विशेष सुविधा प्रदान की गई है कि यदि करप्ट हैं, इनडिस्प्लिन्ड हैं, तो उन को निकालने में बड़ी कठिनाई है, उन के लिये इन्वीपेन्डेंट एक्ट की दफा 10 है। पवित्र संविधान के अन्तर्गत जो 314 धारा है, वह उनको निकालने में बाधक है, हमारे पवित्र संविधान में यह एक कलंक है और वे लोग एक प्रकार से परतन्त्रता के प्रतीक हैं।

जो हमारे आर्टि० सी० एस० आफिसर्स मौजूद हैं और उनको रिप्लेस करने के लिये, जो प्रब सेवार्थ हैं, भारतवर्षीय जो सेवा है, आर्टि० ए० एस० का जो कडर है उन में भी वह वातावरण हो, जिसमें कि कार्यपद्धति में, शासन की कार्यपद्धति में इन्टीग्रिटी और आनेम्टी आ सके। मैं चाहता हूँ जैसा हमारे हनुमैया साहब ने कहा है, यह सब मसले विचाराधीन हैं। जो रिफार्मर्स कमीशन है, उसका भी यह कर्तव्य होता है कि वह विचार करे कि किस तरह की हमारी शासन पद्धति हो, कार्यपद्धति हो, किस तरह की हमारी प्रजातन्त्र को चलाने की पद्धति हो। इन शब्दों के साथ जब मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं इस विधेयक को वापस ले लूँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपकी अनुमति से मैं अपने विधेयक को वापस लेना चाहता हूँ।

**अ.यक्ष महोदय :** इन को आज्ञा है कि यह विधेयक को वापस ले लें।

*The Bill was, by leave, withdrawn.*

17.34 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE  
(AMENDMENT) BILL

By Shri Malaichami

Shri M. Malaichami (Periyakulam):  
Mr. Speaker, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration."

While submitting my Bill for the consideration of the House, I would like to submit the following facts. I have proposed some amendments to the Representation of the People Act, 1950 and 1951. My purpose in moving the amendment is to enable the up-to-date, complete and accurate preparation of the electoral rolls and to see that as far as possible elections to

[Shri M. Malaichami]

represent the people are conducted in a decent and fair manner. I have proposed one amendment to section 21 of the Representation of the People Act, 1950. In the original Act provision has been made for the preparation of the electoral rolls by the Government, but nothing is said of a particular time when the Government is not in a position to make revision of the electoral roll. My amendment proposes such an enabling clause to facilitate people to get themselves enlisted as electors. The preparation and maintenance of complete and accurate electoral rolls are essential pre-requisites for the holding of elections.

Regarding the enrolment of voters, at the time of the second general elections the Election Commission in its Report has stated:

"The Commission does not claim that the election machinery is perfect. Like all human institutions, it has its shortcomings. Even after the experience gained during the last eight years and in spite of every effort quite a number of eligible voters may still have been left out of the electoral rolls."

The report on the third general elections also speaks in a similar tone.

"In 1961, however, it was felt that the electoral rolls revised intensively in 1958 and summarily in subsequent years were not sufficiently accurate for use during the forthcoming elections and it was accordingly decided that where practicable some of those rolls also should be intensively revised during 1961."

The report clearly speaks of the imperfections that are yet to be made good to see that the electoral rolls are complete and accurate. To facilitate such an attempt, I have proposed an amendment, which says:

"In section 21 of the Representation of the People Act, 1950, under sub-section (2), the follow-

ing sub-section shall be inserted, namely:

"(2A) If the electoral roll is not revised in any year, the fact shall be duly publicised and opportunity shall be given to those who want to enrol themselves in the electoral roll by inviting applications during a specified period."

I request that my amendment may be considered in the proper perspective and necessary steps taken to see that the electoral rolls are made complete and accurate for the ensuing elections.

The next amendment I have proposed is regarding section 123 of the Representation of the People Act, 1951, which says something about corrupt practice at the time of the conduct of the elections. Sub-clause (7) says:

"The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent or, by any other person with the consent of a candidate or his election agent, any assistance (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of that candidate's election, from any person in the service of the Government and belonging to any of the following classes,

- (a) gazetted officers;
- (b) stipendiary judges and magistrates;
- (c) members of the armed forces of the Union,
- (d) members of the police forces;
- (e) excise officers;....."

So, obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate any help from any officer for the furtherance of the prospects of the candidate's election has been declared to be a corrupt practice. Similarly, various other measures have been stipulated as corrupt practice to see that the elections are conducted in a fair and reasonable manner.

While freedom is given to the individual under the Constitution, article 19, clause (2) stipulates:—

"Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence."

So, the freedom conferred under article 19 is restricted to the extent it affects the decency or morality of the individual.

Under section 123 an attempt by a candidate to get help from a Government officer is considered a corrupt practice, the candidate is made responsible for his attempt even though to see that his attempt comes to fruition not only the candidate but the Government officer also should cooperate, the Government officer may not co-operate; if an attempt is made by the candidate, it is considered to be a corrupt practice and he is made responsible for it and this also is included among the corrupt practices.

Taking advantage of all these measures, sometimes election petitions are filed based on vague allegations, alleging amongst other things partisan attitude of the officials. When we take into account the hardships and the difficulties under which officials carry on the elections, we can very easily understand the impartial, honest and unbiased attitude of the officials from the experience we gained during these elections. It is only on account of the honest and unpartisan attitude of the officials that we were able to conduct the elections successfully. There may be instances where some officials might have acted in a wrong manner or might not be up to the

standard expected of them. But whenever election petitions are filed, generally we find allegations made against officials saying that at the time of counting or at the time of sorting of votes they had adopted a partisan attitude and so had helped a particular candidate to win the election. Such sort of false and vague allegations not only result in unnecessary waste of time and energy for the trial of the election petition but at the same time cause harassment to the officials and the candidates as well because the petitioner had got the opportunity to request for a recount or proper sorting at the time of counting itself.

It is also provided in the Act to ask the Returning Officer to ask for recounting or checking of the votes that had been counted. If during the counting of votes the petitioner can take recourse to such redressal, it is not necessary for him to wait till the results are announced, think of the various fabrications which he can make to file an election petition. After the elections are over and the results are announced, he comes and makes various allegations against the officials regarding counting and sorting of votes. This is mainly intended for causing harassment not only to the winner of the election but to the officials also.

Generally, whenever officials, who conduct the elections, were transferred to some other place, it is found very difficult for them to come to the original post, trace out the records and give sufficient evidence before the tribunal and free themselves from the allegations made. It results sometimes in harassment. Generally defeated candidates resort to this practice mainly to cause harassment to the candidate who has won the election and also to the officials without realising the hardship and the harassment caused to the officials and other persons entrusted with the responsibility of conducting the elections.

[Shri M. Malaichami]

As a provision has been made declaring the attempt to get the favour of a Government servant was a corrupt practice, similarly, I have moved an amendment to section 123 of the Representation of the People Act, 1951 that after clause (7), the following clause shall be inserted, namely:

“(8) Making allegations against officers in the discharge of their duties during the period of election, which are found to be false by a court of law.”

By proposing this amendment my idea is to make the Government conscious of the unnecessary harassment made to the officials, the contesting candidates and others and the moral turpitude involved in making false allegations which could not be proved by the petitioner himself. Further these allegations are made after the elections are over even after ignoring several recourses available to him for the redressal of his grievances. This is mainly to cause harassment involving not only moral turpitude but even it affects the general behaviour of the community at large.

So, it is to prevent such vague allegations made by the petitioner to go unpunished. I request that my amendment may be considered in a proper perspective so that false allegations made even after ignoring several recourses available to him for the redressal of his grievances should not go unpunished. With these words I move the Bill for the consideration of the House.

**Mr. Speaker:** Motion moved:

“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.”

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय, श्री मलाईछामी जो बिल लाये हैं इस का मैं विरोध करता हूँ। इसलिए कि

कांग्रेस के दिमाग में किस किस प्रकार की बातें चलती हैं वह इस बिलसे प्रतीत होता है। पहले तो उन्होंने यह कहा है कि :

“(2A) If the electoral roll is not revised in any year, the fact shall be duly publicised and opportunity shall be given to those who want to enrol themselves in the electoral roll by inviting applications during a specified period.”

लेकिन इसी प्रोरिजिनल सेक्शन में आपने देखा होगा कि लिखा है:

“(2) The said electoral roll shall thereafter be revised in every subsequent year in the prescribed manner by reference to the qualifying date:”

प्रेसक्राइड मैनर में यह मन् लिखा हुआ है कि हर साल एलेक्टोरल रोल प्रचारित होगा और अगर नहीं प्रचारित हुआ तो प्रचारित होने ही पब्लिक में पब्लिसाइज किया जायेगा। वह पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, तहसील हर एक जगह रक्खा जाता है। लेकिन वास्तव में इस के नीचे जो लिखा है उसे निकालना चाहिए था।

“Provided that if for any reason the electoral roll is not revised in any year the validity or continued operation of the electoral roll shall not thereby be affected.”

इस प्राविजन को निकालना चाहिए था कि अगर एलेक्टोरल रोल प्रचारित नहीं हुआ है और एलेक्शन हो जाता है तो जो एलेक्शन होगा वह नाजायज हो जायेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

मन से आश्चर्यजनक प्राविजन जो है वह करण्ट प्रेक्टिसेज के बारे में है। इस सम्बन्ध में लिखा हुआ है कि :

“Making allegations against officers in the discharge of their duties during the period of election, which are found to be false by a court of law.”

चूँकि मैंने तीनों इलेक्शन में भाग लिया है, इसलिए मुझे पता है कि इलेक्शन पेट्रीशन के साथ एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो कुछ इस पेट्रीशन में लिखा गया है, वह सच है। अगर पेट्रीशन में कोई गलत बात कही गई होगी, तो पेट्रीशनर के खिलाफ गलत एफिडेविट देने की वजह से कार्य-बाही हो सकती है।

इस स्थिति में आफिसरों के विरुद्ध गलत एलिगेशन लगाने को इस में शामिल करने का क्या कारण है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इलेक्शन में कांग्रेस का कैंडिडेट पहले तो पैसों की थैली खोलता है। उस समय जनता सोचती है कि यह जो साहूकार कैंडिडेट आया है, इस ने सारा पैसा हम से चुरा-चुरा कर और ब्लैक-मार्केटिंग से प्राप्त किया है और अब इलेक्शन के वक्त वह कह रहा है कि मेरे गुनाह माफ़ करो, मुझे माफ़ी दो, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। तब जनता की तरफ से यह नारा लगाया जाता है "लो कांग्रेस के नोट, दो जनसंघ को (या किसी दूसरी पार्टी को) बोट"।

**अध्यक्ष महोदय :** "लो कांग्रेस के नोट, दो जनसंघ को बोट", यह नारा तो आप के कैम्प में ही लगता होगा।

**श्री बड़े :** सब जगह यह नारा लगाया जाता है।

हम के बाद धराब की बोटलें खुलती हैं और तरह तरह के दूसरे प्रलोभन दिये जाते हैं। इस के साथ ही साथ आफिसरों पर भी यह दबाव डाला जाता है कि अगर वे चुनाव में कांग्रेस की मदद नहीं करेंगे, तो उन की सर्विस के सम्बन्ध में उन को असुविधा होगी। हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखते हैं कि जिस कलेक्टर या एस० पी० आदि के बारे में जनसंघ या किसी दूसरे दल का पक्षपाती होने का सन्देह किया जाता है, उस को

ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि मैंने अपने भाषण में कह दिया कि प्रमुख कलेक्टर या एस० पी० बहुत अच्छा है, तो तुरन्त उस का तबादला हो जाता है। कांग्रेस के मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स की ओर से ऐसे कलेक्टर और पुलिस अधिकारी अपने चुनाव-क्षेत्र में रखने का प्रयत्न किया जाता है, जो चुनाव के समय गांव-गांव जा कर पटवारियों पर कांग्रेस का समर्थन करने के लिए दबाव डालें।

आप देखें कि जो व्यक्ति सेंटर या मध्य-प्रदेश में मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, उन्हीं को टिकट दिया गया है। उन्हींने अभी से दौरा करना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में श्री इन्दौर में देखा है कि पटवारियों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि अगर उन्हींने इलेक्शन में कांग्रेस की मदद नहीं की, तो इन की खैर नहीं है। इस कारण वे सब आफिसरों इलेक्शन में कांग्रेस की मदद करते हैं।

हम सब जानते हैं कि ये आफिसरों अयंजुष्ट हैं, इन को पूरी पगार और पर्याप्त डीपारनेस एलाउन्स नहीं मिलता है, वे अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा नहीं दिला सकते हैं। लेकिन अपने पापी पेट को पालने के लिए उन को श्री रघुनाथ सिंह की पार्टी की मदद करनी पड़ती है, जो कि उन को नीकरी देती है। वे इन लोगों को गालियाँ देते हैं और कहते हैं कि क्या करें, अपना पेट पालने के लिए इन पापी लोगों की सहायता करनी पड़ती है और उन को बोट देना पड़ता है। हम ने ये एलिगेशन अपने इलेक्शन पेट्रीशन में लगाये हैं और उन के सुबूत भी दिये हैं, लेकिन उन को करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना गया है। हम लोगों का मूंह बन्द करने के लिए यह एम्बेडमेंट लाया गया है।

जिन आफिसरों के विरुद्ध एलिगेशन लगाने के सम्बन्ध में यह एम्बेडमेंट लाया गया

## [श्री बड़े]

है, वे आफ्रिसर्ज ये हैं: "लम्बरदार, गजेटिड आफ्रिसर्ज, स्टाइपेंडरी जजिज एंड मैजिस्ट्रेट्स, मेम्बरस आफ दि ग्राम्ड फोर्सिज आफ दि यूनियन, मेम्बरज आफ दि पुलिस फोर्सिज, एक्साइज आफ्रिसर्ज, रेवेन्यू आफ्रिसर्ज अदर दैन विल्लेज रेवेन्यू आफ्रिसर्ज नोन एज लम्बरदाज, मालगुजाज, पटेलज, देशमुखस आर वाई ऐनी अदर नेम, हूज ड्यूटी इज टु कलेक्ट लै डरेवेन्यू..." अगर इन आफ्रिसर्ज के खिलाफ कोई एलीगेशन लगाई जाती है, जो साबित नहीं हो सकती है, तो एलीगेशन लगाने वाले व्यक्ति को करप्ट प्रैक्टिस के अपराध में छः साल के लिए इलेक्शन के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया जायेगा।

हिन्दी में इस को कहते हैं "चोर की दाढ़ी में तिनका"। इन को मालूम है कि इन के विरुद्ध इस प्रकार की एलीगेशन्ज लगाई जायेंगी, इसलिए यह एमेंडमेंट लाया गया है। ज्यों ज्यों अपोजीशन पार्टीज की शक्ति बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों सत्तारूढ़ दल को अधिक डर मालूम होता है। ला का वर्डिंग जिस प्रकार का होना चाहिए, इस के अनुसार यह बिल्कुल बेग कानून है।

अगर कोई एलीगेशन मैजिस्ट्रेट के सामने झूठी पाई गई, तो सम्बद्ध व्यक्ति को डबल पनिशमेंट मिलेगी। एक तो उस को झूठा एफिडेविट देने के लिए सजा होगी और दूसरे, करप्ट प्रैक्टिस के अन्तर्गत आने के कारण वह छः साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में सभी पार्टियां भाग लेने जा रही हैं। अगर कहीं कांग्रेस वाले मैजिस्ट्री में आते हैं, तो दूसरी जगह जनसंघ, कम्युनिस्ट और एम० एम० पी० के म्मीदवार भी मैजिस्ट्री में आते हैं। इसलिए इस प्रकार की कानून की व्यवस्था सब दलों के लिए बाधक होगी।

अगर कांग्रेस इलेक्शन से पहले मिनिस्ट्रीज से त्यागपत्र दे कर आए, तो हम समझें कि यह इलेक्शन निष्पक्ष है। उस अवस्था में मध्य प्रदेश में वह कभी जीत नहीं सकती है। हम अपने यहां देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर मिनिस्टर जाते हैं, जिन के साथ कलेक्टर, एस० पी० आदि अधिकारी होते हैं। उन सब लोगों के साथ कडीडेट महोदय भी घूमते हैं और कहते हैं कि मुझे वोट दो। इस स्थिति में कौन माई का लाल है, जो इन लोगों के खिलाफ काम करेगा?

मैं समझता हूँ कि यह एक मिसचीवस एमेंडमेंट है और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रिप्रिजेंटेशन आफ्र दि पीपल एक्ट में संशोधन करने का बिल उपस्थित किया है, वह 1964 में सदन में पेश हुआ था, लेकिन आज नवम्बर, 1966 में उस पर विचार करने का मौका मिला है। इस बीच में सरकार की तरफ से रिप्रिजेंटेशन आफ्र दि पीपल (एमेंडमेंट) बिल इस सदन के सामने उपस्थित किया गया था और उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है और उससे बहुत से संशोधन मंजूर कर लिये हैं।

माननीय सदस्य मैं अपने बिल में रिप्रिजेंटेशन आफ्र दि पीपल एक्ट 1950 और रिप्रिजेंटेशन आफ्र दि पीपल एक्ट, 1951 में संशोधन करने की व्यवस्था की है। जहां तक वोटज लिस्ट तैयार करने का सम्बन्ध है, प्रवर समिति ने जो संशोधन स्वीकार किया है, उससे माननीय सदस्य की मांग करीब करीब पूरी हो जाती है। प्रवर समिति ने यह तो नहीं माना है कि हर साल वोटज लिस्ट का संशोधन किया जाये, लेकिन उस ने यह बात मान ली है कि जेनरल इलेक्शन या किसी वाई-इलेक्शन के पहले वोटज लिस्ट

Bill

में जरूर संशोधन होना चाहिए । अगर किसी समय इलैक्शन कमीशन समझे कि उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, तो वह लिखित कारण दे कि संशोधन क्यों नहीं किया गया है । मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति की ओर से जो संशोधन इस सदन में उपस्थित होने वाला है, उस से माननीय सदस्य का उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।

मैं देखता हूँ कि कोई भी विधेयक जब इस सदन के सामने आता है, तो हमारे बहुत से माननीय सदस्यों को उस में दुर्गंध मालूम होती है । मालूम नहीं कि दुर्गंध उनके नाक में है या दिल में है । वे हर एक विधेयक के बारे में सोचते हैं कि उससे शासनाखंड पार्टी का कोई हित होने वाला है । लेकिन यह संशोधन तो बिल्कुल सीधा-सादा है— यह सदन उसको माने या न माने, वह भ्रमलग बात है—कि अगर इलैक्शन के सम्बन्ध में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध झूठा दोषारोपण किया जाये और अदालत में साबित हो जाये कि वह आरोप झूठा है, तो उस को करप्ट प्रैक्टिस माना जाये । मैं नहीं समझता कि इस का विरोध क्यों किया जाता है । यहाँ पर हमें बोलने की आजादी है, हम किसी के खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बाहर अगर किसी पर झूठा आरोप लगाया जाये, जिनके ऊपर चुनाव को चलाने की जिम्मेदारी है, अगर वे अदालत में जाकर किसी आदमी पर, किसी कैंडिडेट या वोटर द्वारा झूठ आरोप लगाये, तो इसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाये, इस में क्या बुराई है ।

18. hrs.

मैं समझता हूँ कि इस बिल पर जब प्रवर समिति की रिपोर्ट और सरकार के द्वारा जो विपुलिब्ड रिप्रेजेन्टेशन एक्ट आने वाला है, उस समय हमारे माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे । अन्त में मैं माननीय बड़े साहब से यह कहूंगा कि हर [बात में

दुर्गन्ध बताना, नाक के सामने कोई दुर्गन्ध हो तो ठीक है, लेकिन हर बात में दुर्गन्ध अनुभव करना उचित नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : बड़े जी ने बहुत लम्बी चौड़ी बड़ी भाषा में, लम्बी चौड़ी भाषा में कांग्रेस पर दोष लगाया है । कांग्रेस लोगों को रुपया देती है, पैसा देती है । अनेकों प्रकार से प्रभावित करती है । लेकिन बात कुछ उल्टी है । अगर आज किसी के पास पैसा है तो जनसंघ के पास सब से ज्यादा पैसा है । बल्कि उसके पास बहुत से ऐसे मामले हैं जो मनुष्य की धार्मिक भावनाओं को, साम्प्रदायिक भावनाओं को उभार कर लोगों को उद्वेलित करते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दो, जो कि कांस्टी-बूशन के खिलाफ बात है । कांग्रेस गवर्नमेंट को धन्यवाद दीजिये । उस ने हर एक नागरिक में, भारतवर्ष की जनता में इतनी चेतना उत्पन्न कर दी है कि आज जनता पुलिस से नहीं डरती, मोटर से नहीं डरती, झण्डे से नहीं डरती, मिनिस्टर से नहीं डरती । और यदि पुलिस को साथ लेकर कोई मिनिस्टर आये, तो उस मिनिस्टर को बोट मिलने वाला नहीं है । पुलिस हमारे वास्ते एडवान्टेज की चीज नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर अभी खतम करना चाहते हैं, या आगे जारी रखना चाहते हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : आगे जारी रखना चाहता हूँ ।

18.02 hrs.

STATEMENT RE. BANNING OF  
COW-SLAUGHTER

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): A demand for banning the slaughter of cows has been pressed over the last several years in one form or other and from different platforms. Government have been aware of the need for taking effective steps for banning cow-slaughter, organising